आदेश संख्या/जीएसटी -2017-18/ 12 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०

(जीएसटी अनुभाग)

लखनऊः दिनांकः 21 नवम्बर, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ0प्र0अधि0 1 सन् 2017) की धारा 168 सपठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं कमिश्नर, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 65 सपठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-6 में किसी निवेश सेवा वितरक द्वारा माह जुलाई, 2017 के विवरणी भरे जाने के लिए समय-सीमा को बढाकर 31 दिसम्बर, 2017 करता हूँ।

2. उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (6) के अधीन विवरणी भरे जाने के लिए बढे हुए समय-सीमा को अगस्त, 2017 सितम्बर,2017 और अक्तूबर,2017 के लिए तत्पश्चात् अधिसूचना किया जायेगा।

21/11/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश